

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र

सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग
(उत्तराखण्ड शासन)

अपर आमवाला, नालापानी, देहरादून-248008

दिनांक: 01 अक्टूबर, 2026

ई-निविदा सूचना

निदेशक, उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू-सैक) कार्यालय भवन, जो अपर आमवाला, नालापानी, देहरादून में स्थित है, हेतु कार्यालय भवन की साफ-सफाई एवं रख-रखाव कार्य, बागवानी सेवाओं, प्रशासनिक एवं लेखा कार्य से सम्बन्धित कार्यों एवं बहुकार्य सेवाओं (MTS) हेतु प्रशिक्षित कार्यबल उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी निविदादाता फर्मों ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण उत्तराखण्ड राज्य के Public Procurement Portal www.uktenders.gov.in पर डाउनलोड की जा सकती है तथा उक्त के साथ ही विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट <https://usac.uk.gov.in/> पर भी उपलब्ध है।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू-सैक) कार्यालय में हाउसकीपिंग एवं
विविध कार्यों हेतु वाह्य सेवाप्रदाता एजेन्सी अनुबन्धित किये जाने हेतु
निविदा प्रपत्र:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मानवशक्ति	कार्य समय	अनुमानित मासिक लागत
1.	यू-सैक में हाउसकीपिंग सेवायें	02	प्रातं 08.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक	रु० 27,600 / -
2.	कार्यालय लॉन, बाहरी परिसर के रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण हेतु बागवानी / माली सेवायें	01	प्रातं 08.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक	रु० 13,800 / -
3.	मल्टीटास्किंग सेवायें (परिचर, बियरर, अटेन्डेंट आदि)	03	प्रातं 09.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक	रु० 41,400 / -
4.	प्रशासनिक कार्यों से सम्बन्धित सेवायें, सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त (प्रशासनिक अधिकारी के समकक्ष) मानवशक्ति	01	प्रातं 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक	रु० 40,000 / - (नियत मानदेय)
5.	लेखा कार्यों से सम्बन्धित सेवायें सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त (लेखाधिकारी के समकक्ष) मानवशक्ति	01	प्रातं 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक	रु० 40,000 / - (नियत मानदेय)
6.	आई.टी. मैनेजमेंट एवं मैनेटिनेंस सर्विसेज	01	प्रातं 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक	रु० 30,000 / - (नियत मानदेय)

नोट: सफल सेवाप्रदाता एजेन्सी को उपरोक्त वर्णित तालिका में क्रमांक—1 से 3 पर उल्लिखित सेवाओं हेतु आबद्धित मानवशक्ति को उत्तराखण्ड शासन के श्रम अनुभाग के शासनादेश संख्या: 391604 / VIII-1/26-228(श्रम) / 2001 दिनांक 29.04.2026 के अनुसार न्यूनतम मूल वेतन डी.ए. सहित रु0 13,800 /— भुगतान करना होगा, जिस पर ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं जी.एस. टी. नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू-सैक) का कार्यालय, उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष भवन, अपर आमवाला, नालापनी, देहरादून में स्थित है। कार्यालय भवन में कुल तीन तल हैं तथा कुल निर्मित क्षेत्रफल 1662.00 वर्ग मीटर + 49.00 वर्ग मीटर जैनरेटर, टासफार्मर एवं पार्किंग आदि हेतु निर्धारित हैं। कार्यालय भवन की साफ-सफाई एवं रख-रखाव कार्य, कार्यालय में बहुकार्य सेवाओं (MTS), बागवानी सेवाओं एवं विद्युत (पॉवर) से सम्बन्धित कार्यों हेतु प्रशिक्षित कार्यबल उपलब्ध कराये जाने हेतु संयुक्त निविदा प्रकाशित किये जाने पर विचारोपरान्त उपरोक्त समस्त कार्यों के लिए संयुक्त निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु निम्नानुसार सेवा-शर्तें निर्धारित की गयी हैं:-

1. कार्य-क्षेत्र, साफ-सफाई कार्य:-

1. भवन में तलों (Floors) की संख्या— 03

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (i) भूतल एरिया— | 581 वर्ग मीटर |
| (ii) प्रथम मंजिल का एरिया— | 581 वर्ग मीटर |
| (iii) द्वितीय मंजिल का एरिया— | 500 वर्ग मीटर |
| (iv) छत का एरिया— | 600 वर्गमी0 (लगभग) |
| (v) कुल निर्मित क्षेत्रफल— | 1662.00 वर्गमी0+49.00 वर्गमी0 |

(vi) परिसर क्षेत्र—	8090 वर्गमी० (0.809 हैक्टे०)
(vii) बागवानी क्षेत्र—	1000.00 वर्गमी०

2. भवन की सफाई एवं रख-रखाव सेवायें:— सफल सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा अनुबन्ध अवधि में निम्न कार्य किये जाने होंगे:—

- (i) परिसर के अन्दर निर्मित भवन के दरवाजें, खिड़कियों की साफ-सफाई तथा शीशों की सफाई।
- (ii) फर्श की स्क्रबिंग और वैक्यूमिंग।
- (iii) कार्यालय कक्षों, कॉमन एरिया, बाथरूम एवं शौचालयों की सफाई व रख-रखाव।
- (iv) कार्यालय कक्षों में स्थित फर्नीचर एवं फिक्स्चर की गंदगी, दाग और धूल मुक्त रखना।
- (v) बाहर की कार पार्किंग एवं आस-पास के क्षेत्रों की सफाई।
- (vi) शौचालयों में हैंड वॉश, साबुन, टिशू पेपर/नैपकिन एवं एयर फ्रेशनर की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- (vii) अंदरूनी एवं बाहरी दीवारें और छत धूल, मिट्टी एवं जालों से मुक्त रखना।

3. बहु कार्य (मल्टी टास्क स्टॉफ) सेवायें—

सफल निविदादाता/सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा 02 मानवशक्ति उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके द्वारा निम्न कार्यों का निष्पादन किया जायेगा:—

- (i) कार्यालय में गैर तकनीकी एवं सहायक कार्यों यथा पत्रावलियों को लाना ले जाना उनका रख-रखाव, फोटोकापी, डाक पहुंचाना, कार्यालय पत्रों को डाक द्वारा प्रेषित किये जाने हेतु डाकघर आना जाना, कार्यालय में चाय, पानी पिलाने की व्यवस्था सम्बन्धी कार्य, कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार विविध सहायता कार्यों एवं अन्य कार्य करना।

कार्यालय आवश्यकतानुसार मानवशक्ति बढ़ायी भी जा सकती है।

4. बागवानी से सम्बन्धित सेवायें:—

सफल निविदादाता/सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा 01 प्रशिक्षित मानवशक्ति उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षित मानवशक्ति निम्न कार्यो हेतु जिम्मेदार होगा:—

(i) लॉन, बाहरी परिसर (मैदान) का समुचित विकास एवं रख-रखाव, घास की नियमित कटाई, लैण्डस्केप कार्य, फूल एवं पौधे आदि लगाना एवं उनकी नियमित कटाई एवं रख-रखाव करते हुये नियमित रूप से पानी देना, परिसर/क्षेत्र को हरा-भरा/सुन्दर रखना।

5. आई.टी. मैनेजमेंट एवं मैनेटिनेंस सेवाये:—

सफल निविदादाता/सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा वर्णित कार्य हेतु 01 प्रशिक्षित मानवशक्ति उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षित मानवशक्ति की शैक्षिक योग्यता एवं जिम्मेदारी निम्न प्रकार से होगी:—

शैक्षिक योग्यता:— BCA/BSC (IT/CS)/Diploma in CS & IT/or higher एवं सम्बन्धित क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव।

वर्णित कार्य हेतु आबद्धित मानवशक्ति द्वारा निम्न कार्य किये जायेंगे:—

(i) यू-सैक की आधिकारिक वेबसाइट का प्रबन्धन।

(ii) सॉफ्टवेयर इन्स्टालेशन एवं अपग्रेड।

(iii) विभिन्न सरकारी पोर्टलों पर डेटा फीडिंग एवं प्रबन्धन।

(iv) डिजिटल कन्टेंट निर्माण एवं सोशल मीडिया प्रबन्धन एवं अपडेशन।

(v) यू-सैक भवन में संस्थापित लैब (प्रयोगशालाओं) का रख-रखाव, कम्प्यूटर सिस्टम एवं पेरिफेरल उपकरणों का रख-रखाव, आई.टी. सम्बन्धित अन्य सम्बन्धित कार्य।

6. सेवा शर्तें:—

(i) परिसर के अन्दर सफल निविदादाता द्वारा साफ-सफाई कार्य, मल्टी टास्क, बागवानी एवं विद्युत, आई.टी. मैनेजमेंट एवं मैनेटिनेंस सेवाओं से सम्बन्धित

उपरोक्त कार्यों के लिये वयस्क, कुशल, समर्पित, प्रशिक्षित एवं पूर्णकालिक व्यक्ति/श्रमिक नियुक्त किया जायेगा। बाल श्रम का इस्तमाल करने पर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा। व्यक्ति/श्रमिक का पिछले इतिहास (Record) की जाँच की गयी हो, जिसमें चरित्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन भी सम्मिलित हो।

(ii) निविदादाता द्वारा 18 वर्ष से कम (बाल श्रम) और 60 साल से ज्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति/मजदूर को काम पर नहीं रखेगा। मजदूर स्वस्थ एवं अपने कार्य में सक्षम होना चाहिये।

(iii) यदि कॉन्ट्रैक्ट के तहत तैनात सेवा-प्रदाता एजेंसी का कोई भी कर्मचारी (साफ-सफाई कार्य/ मल्टी टास्क एव/बागवानी) अनुपस्थित रहता है, तो अन्य कर्मचारी की व्यवस्था करनी होगी, व्यवस्था न होने पर यू-सैक अपने स्तर पर व्यवस्था कर उस पर होने वाला व्यय सेवा प्रदाता फर्म के उस माह के देयक से समायोजित किया जायेगा।

(iv) यदि एजेंसी के कर्मियों के दुर्व्यवहार/गलत व्यवहार के कारण कोई सार्वजनिक शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसी प्रत्येक घटना के लिये 500/- रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा और इसे एजेंसी के देयक से काट लिया जायेगा। इसके अलावा एजेंसी ऐसे कार्मिक को यथाशीघ्र बदलना होगा।

7. बयाना जमा राशि (EMD):-

परियोजना लागत (अनुबंध मूल्य) का 2% बयाना जमा राशि (EMD) की मूल हार्ड कॉपी, डायरेक्टर निदेशक, यू-सैक के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, एक सील बंद लिफाफे में, जिस पर "एम.टी.एस., साफ-सफाई, बागवानी एवं विद्युत कार्यों से सम्बन्धित सेवाओं के लिए टेंडर" लिखा हो, बंद होने की तारीख और समय से पहले बिड कंट्रोल डॉक्यूमेंट में बताये गये पते पर जमा करना जरूरी है, ऐसा न करने पर बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा। EMD के बिना या कम राशि के EMD वाले टेंडर तुरन्त निरस्त कर दिये जायेंगे।

सभी निविदादाताओं के लिये EMD जमा करना अनिवार्य है, **उत्तराखण्ड एम.एस.एम.ई. में पंजीकृत फर्मों को EMD में छूट अनुमन्य होगी।** जिनका प्रस्ताव कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा, ऐसे निविदादाताओं की EMD वापस कर दी जायेगी, अगर किसी भी कारण से EMD की वापसी में देरी होती है, तो निविदादाताओं को कोई ब्याज/जुर्माना देय नहीं होगा।

सफल निविदादाता को EMD परफॉर्मेंस गारंटी मिलने पर वापस कर दी जाएगी।

यदि निविदादाता RFP की वैधता अवधि के भीतर अपने टेंडर को वापस लेता है, उसमें संशोधन करता है, टेंडर में किसी भी तरह से छेड़छाड़ करता है, उसके कार्यान्वयन में गतिरोध उत्पन्न करता है अथवा भंग करता है, ऐसे निविदादाता की EMD जब्त कर ली जाएगी, EMD के बिना प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. परफॉर्मेंस सिक्योरिटी गारंटी:—

यू-सैक द्वारा चुने गए बिडर से परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) की जरूरत होगी, जो देहरादून में किसी भी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में वर्क ऑर्डर मिलने के 15 दिनों के अंदर जमा करनी होगी। इसकी वैल्यू वर्क ऑर्डर की वैल्यू के 5% के बराबर होगी और यह वर्क ऑर्डर पूरा होने की तारीख से दो साल + 60 दिनों के लिए निदेशक यू-सैक, देहरादून के पक्ष में वैध (Valid) होगी।

9. विवादों का निपटारा और मध्यस्थता:—

यदि आबद्धित फर्म समझौते की किसी भी शर्त का पालन नहीं करती है, या उल्लंघन करती है, या उसकी सेवायें संतोषजनक या अक्षम पायी जाती हैं, तो यू-सैक नोटिस प्रेषित करने के पश्चात् अनुबन्ध खत्म करने के लिए स्वतंत्र होगा। इस सम्बन्ध में निदेशक, यू-सैक का फैसला अंतिम होगा और वेंडर पर बाध्यकारी होगा।

यदि पार्टियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट, शर्तों की व्याख्या या किसी भी दावे के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो निदेशक या उनके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति मामले का फैसला करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ होगा और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान लागू होंगे। फर्म को नामित मध्यस्थ या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति पर कोई आपत्ति नहीं होगी। मध्यस्थता की कार्यवाही का स्थान देहरादून होगा।

10. शासकीय नियम एवं विनियम:—

सभी कानूनी कार्यवाही निदेशक, यू-सैक के अधिकार क्षेत्र में होंगी। यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार कवर समझा जाएगा, जिसमें बिना किसी सीमा के, सम्बन्धित केन्द्रीय अधिनियम और नियम, विनियम और समय-समय पर जारी संशोधित अधिसूचनायें शामिल हैं, जिसका कार्यक्षेत्र देहरादून होगा।

11. अनुबन्ध समाप्त करना:—

अनुबन्ध के उल्लंघन के लिए यू-सैक द्वारा बिना किसी पूर्वाग्रह के, सफल निविदादाता को किसी गलती हेतु लिखित नोटिस द्वारा अनुबन्ध को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है यदि:—

(i) सफल निविदादाता अनुबन्ध में निर्दिष्ट समय अवधि (अवधियों) के भीतर या यू-सैक द्वारा दी गई किसी भी विस्तार अवधि के अन्तर्गत किसी भी अथवा समस्त दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है।

(ii) सफल निविदादाता अनुबन्ध के तहत किसी अन्य दायित्व (दायित्वों) को पूरा करने में विफल रहता है। हालांकि, यदि कोई विवाद होता है तो उसे मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है।

(iii) कोई अप्रत्याशित घटना की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में सफल निविदादाता यू-सैक को ऐसी स्थितियों और उसके कारण के बारे में शीघ्र लिखित रूप में सूचित करेगा। जब तक यू-सैक द्वारा लिखित रूप में अन्यथा निर्देशित न किया जाए, निविदादाता अनुबन्ध के अनुरूप अपने दायित्वों को यथासंभव व्यावहारिक रूप से पूरा करना जारी रखेगा और अप्रत्याशित घटना से बाधित न होने वाले प्रदर्शन के लिए सभी उचित वैकल्पिक साधनों की तलाश करेगा। यू-सैक सफल निविदादाता को न्यूनतम 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर इस अनुबन्ध को समाप्त कर सकता है, यदि अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप, निविदादाता 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए सेवाओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से को करने में असमर्थ रहता है।

12. अनुबन्ध पर हस्ताक्षर:—

यू-सैक तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के बाद सफल निविदादाता को अवार्ड का नोटिफिकेशन (NOA) जारी करेगा।

चयनित निविदादाता को यू-सैक से अवार्ड का नोटिफिकेशन मिलने के 07 दिनों के भीतर, अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, प्रो-राटा दर के आधार पर

02 साल के अनुबन्ध मूल्य के 10% के बराबर राजस्व दर पर परफॉर्मेंस गारंटी जमा करनी होगी, जो बैंक गारंटी के रूप में डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में “निदेशक, यू-सैक” के पक्ष में देहरादून में देय होगी। सफल निविदादाता द्वारा जमा की गई बिड सिक्योरिटी को इस राशि के सापेक्ष एडजस्ट किया जा सकता है और यदि कोई शेष राशि बचती है, तो उसे भुगतान करना होगा यदि सफल निविदादाता डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में परफॉर्मेंस गारंटी देना चाहता है। PG-1 की वैधता 02 वर्ष के लिए होगी जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है, यदि यू-सैक उस अवधि के लिए पैनल में शामिल करने की अवधि बढ़ाना चाहता है।

सफल निविदादाता को वर्णित सेवाओं हेतु मानवशक्ति उपलब्ध कराने के लिए यू-सैक के साथ अनुबन्ध समझौते में प्रवेश करना होगा।

अनुबन्ध शुरू में दो वर्ष के लिए वैध होगा, जिसे यू-सैक द्वारा उसके प्रदर्शन की समीक्षा के परिणाम के आधार पर आपसी सहमति से तय अवधि के लिए समाप्त या आगे बढ़ाया जा सकता है (1 या अधिक वर्षों हेतु)।

13. अनुबन्ध की अवधि:—

अनुबन्ध की अवधि यू-सैक द्वारा पत्र जारी करने की तारीख से दो वर्ष होगी और सेवा प्रदाता के प्रदर्शन और आपसी समझ के आधार पर इसे 1 या अधिक वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

इस अनुबन्ध की अवधि के दौरान, यू-सैक आवश्यक कार्य/सेवाओं की संख्या बढ़ा या घटा सकता है। दरों की अनुसूची में दिखाई गई कार्य/सेवाओं की मात्रा अस्थायी है। सेवाओं के दायरे में कमी के कारण सेवाप्रदाता ऐजेन्सी को किसी भी कारण से कोई मुआवजा देय नहीं होगा। तय की गई दरें कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक पक्की रहेंगी और कॉन्ट्रैक्टर किसी भी तरह की बढ़ोतरी या बदलाव (कानूनी या अन्य) या किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा, चाहे वह किसी भी तरह के रिप्रेजेंटेशन, स्पष्टीकरण, बयान या कथित रिप्रेजेंटेशन या कंपनी के किसी कर्मचारी द्वारा दिये गये या दिये जाने का दावा किये गये किसी बकाया या वादे के कारण हो, या कॉन्ट्रैक्टर की अपनी अज्ञानता के कारण हो, या उसे होने वाली कठिनाइयों या परेशानियों के कारण हो। निविदा में प्रस्तुत दरें सभी टैक्स/ड्यूटी/लेवी आदि सहित होंगी और यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक पक्की रहेंगी।

14. किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार करने और किसी भी समय चयन प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार बिना कोई कारण बताये यू-सैक के पास सुरक्षित है।

15. प्रस्तावों की वैधता:-

(i) प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिये वैध रहेंगे।

(ii) यू-सैक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि असाधारण परिस्थितियों में अपने विवेक से, वह आवेदकों से अपने प्रस्तावों की वैधता एक निश्चित अवधि के लिए बढ़ाने को कह सकता है, जो आवेदक उस समय वैधता अवधि बढ़ाने का पत्र जमा नहीं करेगा, उस पर आगे विचार नहीं किया जायेगा।

16. भुगतान की शर्तें और अनुसूची:-

देयक जमा करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर अधिकृत अधिकारी द्वारा बिलों के प्रमाणीकरण के अधीन मासिक आधार पर 100% भुगतान।

TDS या कोई अन्य कटौती, यदि अनुबन्ध की अवधि के दौरान लागू होती है, तो प्रत्येक देयक के विरुद्ध मासिक आधार पर काटी जायेगी।

निविदादाता उन करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो विभिन्न कानूनों के तहत देनदारियाँ हैं।

17. सेवा प्रदाता एजेन्सी की जिम्मेदारी:-

सेवा प्रदाता एजेन्सी सेवाओं की देखरेख स्वयं करेगी तथा वह निदेशक, यू-सैक या उसके प्रतिनिधि से निर्देश प्राप्त करेगी।

18. सेवा प्रदाता एजेन्सी दायित्व:-

अनुबंध अवधि के दौरान/बाद में किसी भी समय (सेवा प्रदाता एजेन्सी यू-सैक को क्षतिपूर्ति देगा और वह इसे) अनुबन्ध के निष्पादन के लिए अनुबन्धकर्ता एवं उसके नियोक्ता के बीच किसी भी विवाद के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी देनदारी के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा नियोजित सभी कर्मचारी उसके रोल पर होंगे और उसे उनके द्वारा भुगतान किया जाएगा और यू-सैक की उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

सेवा प्रदाता एजेन्सी सभी कानूनों का पालन करेगा, जिसमें श्रम कानून जैसे अनुबंध श्रम अधिनियम, 1970, PF अधिनियम, 1952, ESI अधिनियम, 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 आदि शामिल हैं। कम्पनी को उसके द्वारा तैनात कर्मियों के बकाया और रोजगार से सम्बन्धित विवादों से उत्पन्न होने वाले सभी शुल्कों, दावों, बकाया आदि के खिलाफ क्षतिपूर्ति देगा। जिसके लिए ठेकेदार सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा।

सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा तैनात कर्मियों के कृत्यों के कारण होने वाले सभी अथवा किसी क्षति के खिलाफ क्षतिपूर्ति ठेकेदार यू-सैक को करेगा। सेवा प्रदाता एजेन्सी अपने स्तर से तैनात कर्मियों का स्वयं नियमित और प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

19. अनुबंध की विशेष शर्तें:-

1. सेवा प्रदाता एजेन्सी को रविवार और सभी छुट्टियों सहित सभी 365 दिनों में अनुबंध में वर्णित सभी सेवाएं प्रदान करनी होगी।
2. सेवा प्रदाता एजेन्सी को हर समय उपकरण/फिटिंग और फिक्चर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। लापरवाही के कारण किसी भी उपकरण/फिटिंग/फिक्चर्स के नुकसान की भरपाई निदेशक, यू-सैक के निर्णय के अनुसार की जाएगी, जो अंतिम होगा।
3. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा बताई गई दरें सभी करों, शुल्कों, सेवा प्रदाता एजेन्सी के हिस्से के PF और बीमा शुल्क, सेवा प्रदाता एजेन्सी के लाभ और किसी भी अन्य खर्च आदि सहित होनी चाहिए।
4. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत लागू उचित सरकार की न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान करना सेवा प्रदाता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
5. अनुबंध पूरा होने तक किसी भी कारण से कोई भी मूल्य वृद्धि शुल्क देय नहीं होगा (अनुबंध अवधि के दौरान न्यूनतम वेतन हेतु उत्तराखण्ड शासन एवं श्रम विभाग के दिशा-निर्देश मान्य होंगे)।

20. जुर्माना:-

(a) यदि कोई भी सेवा अथवा कार्य सन्तोषजनक ढंग से नहीं किया जाता है अथवा निदेशक, यू-सैक की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है तो प्रत्येक ऐसी स्थिति के लिये 1000/- रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और उस दिन के लिये मासिक शुल्क से आनुपातिक भुगतान भी काट लिया जायेगा।

(b) यदि किसी भी मामले में कोई भी सेवा किसी विशेष दिन नहीं की जाती है, तो एक आनुपातिक राशि, यानी उस विशेष महीने के लिए विशेष सेवा की उद्धृत लागत का औसत, मासिक देयक (Bill) से काट लिया जाएगा।

21. पात्रता मानदंड का मूल्यांकन:—

1. उल्लिखित अनुबंध की सामान्य शर्तों और पात्रता मानदंड के अनुपालन को निर्धारित करने के लिए निविदा की समीक्षा की जाएगी। अनुबंध की सामान्य शर्तों और पात्रता मानदंड से किसी भी विचलन की दशा में निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

2. अपने तकनीकी प्रस्तावों को खोलने और मूल्यांकन करने से पहले, निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुबंध की सभी सामान्य शर्तों और नीचे उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करें:—

जो निविदादाता इन मानदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं या पूर्व-योग्यता मानदंडों का समर्थन करने के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज/दस्तावेजी साक्ष्य जमा नहीं करते हैं, उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है।

3. निविदायें सभी मामलों में पूर्ण होनी चाहिए और टेंडर दस्तावेज में निर्धारित कार्य के पूरे दायरे को कवर करने वाला होना चाहिए। निविदाओं का आमंत्रण उन सभी निविदादाताओं के लिए खुला है जो उत्तराखण्ड एम.एस.एम.ई. में पंजीकृत होने के साथ निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं:—

क्र० सं०	खंड (Clause)	आवश्यक दस्तावेज
1.	निविदादाता फर्म को उत्तराखंड श्रम विभाग (श्रम विभाग) में 30.06.2026 तक कम से कम 05 वर्षों से एक पंजीकृत कम्पनी होनी चाहिए और उनका पंजीकृत कार्यालय देहरादून में होना चाहिए।	निविदादाता फर्म को कम से कम मई, 2021 तक का पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा। फर्म के मामले में, फर्म पंजीकरण प्रमाण पत्र और GST पंजीकरण उत्तराखण्ड में होना चाहिए।
2.	निविदादाता फर्म का पिछले वित्तीय वर्षों (यानी, 2023-24, 2024-25 और 2025-26) में औसत वार्षिक टर्न ओवर क्रमशः 25.00 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए।	निविदादाता फर्म को चार्टर्ड अकाउंटेंट के वैधानिक ऑडिटर से एक टर्नओवर प्रमाण पत्र जमा करना होगा जिसमें पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान/बोली लगाने वाले के वार्षिक टर्नओवर स्पष्ट/रूप से उल्लेख हो।

3.	निविदादाता फर्म के पास सफलतापूर्वक कार्य किये जाने से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य अनुभव होना चाहिए: (क) दो समान पूरे किए गए कार्य जिनमें से प्रत्येक का "वार्षिक अनुबंध मूल्य "15.00 लाख से कम नहीं हो। (ख) एक समान पूरा किया गया कार्य जिसका "वार्षिक अनुबंध मूल्य "25.00 लाख रुपये से कम न हो। केवल केन्द्र या राज्य सरकारी विभागों संगठनों / पीएसयू / विश्वविद्यालयों/बैंकों में पिछले वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25, 25-26) में समान अनुभव का अर्थ है साफ- सफाई कार्य, मल्टी टास्क सेवा, बागवानी सेवाएं, कुशल और अकुशल मानवशक्ति की आपूर्ति।	कार्य आदेशों/अनुबन्ध समझौतों/पूर्णता या चल रहे प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्रों) की प्रति प्रदर्शन प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्रों) के साथ जो प्रधान नियोक्ता (नियोक्ताओं) द्वारा जारी किए गए हों, पिछले 03 वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कार्यों से सम्बन्धित या केवल प्रधान नियोक्ताओं से कार्य आदेश जो समान प्रकृति के अनुभव को दर्शाते हैं, उन पर विचार किया जाएगा। • अनुबन्ध समझौते का मूल्यांकन कार्यक्षेत्र, अवधि, मूल्य और तैनात कर्मचारियों की संख्या के लिए किया जाएगा। • पूर्णता प्रमाण पत्र पूर्णता प्रमाण पत्रों को कार्य के सफल पूरा होने / निष्पादन के प्रमाण के रूप में माना जाएगा। • चल रही सेवाओं के लिए निविदादाता फर्म द्वारा बताई गई राशि के बराबर भुगतान की गई राशि की प्रति जमा करनी होगी।
4.	निविदादाता फर्म को भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार या उसकी किसी भी एजेन्सी द्वारा किसी भी कारण से ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया होना चाहिए और इस RFP के पब्लिकेशन की तारीख तक निविदादाता फर्म को केन्द्र/किसी अन्य राज्य/केन्द्र शासित सरकार या उसकी एजेन्सियों द्वारा भ्रष्ट या धोखाधड़ी वाली गतिविधियों या अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल होने के लिए ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया होना चाहिए।	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से इस सेक्शन में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग।
5.	निविदादाता फर्म को EPF और ESI के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए।	सहायक दस्तावेजों की सर्टिफिकेट कॉपी अटैच करनी होगी।
6.	निविदादाता फर्म का देहरादून में एक स्थापित ऑफिस चाहिए।	पते के प्रमाण के लिए, निविदादाता फर्म को किराए के समझौते की कॉपी या स्वामित्व का प्रमाण जमा करना होगा।

नोट: यदि निविदा या कॉन्ट्रैक्ट के दौरान किसी भी समय निविदादाता द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो यू-सैक के पास कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करने और EMD/PBG को यू-सैक के पक्ष में कैश करने का अधिकार सुरक्षित है।

22. तकनीकी निविदाओं (Technical Bid) का मूल्यांकन:—

1. केवल वही निविदादाता जो सभी प्री-क्वालिफिकेशन/एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जरूरतों को पूरा करते हैं, वे ही तकनीकी निविदा मूल्यांकन के लिए योग्य होंगे।
2. तकनीकी निविदा की पहले समीक्षा की जाएगी ताकि टेंडर के नियमों और शर्तों, RFP में बताए गए दायरे और इस टेंडर में बताए गए काम के दायरे के साथ तकनीकी निविदा की कम्प्लायंस का पता लगाया जा सके।
3. कोई भी निविदा जो अनिवार्य टेक्निकल जरूरतों, टेंडर के नियमों और शर्तों और काम के दायरे के अनुरूप नहीं पाई जाएगी उसे निरस्त कर दिया जाएगा और आगे के मूल्यांकन के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा। केवल वही निविदायें जो तकनीकी रूप से सफल होंगी, उन्हें ही वित्तीय मूल्यांकन के लिए लिया जाएगा।
4. निविदादाता को RFP में बताए गए मानदंडों के अनुसार सभी सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे। यू-सैक के पास किसी भी निविदा को सीधे खारिज करने का अधिकार सुरक्षित है जिसमें सभी अनिवार्य सहायक दस्तावेज नहीं हैं या वह निविदादाता से दस्तावेज फिर से जमा करने के लिए कह सकता है, इस सम्बन्ध में यू-सैक का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।
5. यू-सैक के पास किसी भी मानदंड के आधार पर किसी भी निविदादाता को अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसे प्रासंगिक माना जाता है और उसका निर्णय बाध्यकारी है। अयोग्य घोषित निविदादाताओं के किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सीधे निरस्त कर दिया जाएगा। यू-सैक निविदादाताओं द्वारा निविदा निरस्त करने के कारणों के बारे में पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा।

23. वित्तीय निविदाओं (Financial Bids) का मूल्यांकन:—

1. वित्तीय मूल्यांकन के लिए विचार किए जाने हेतु निविदादाता को रुपये के मूल्य में कोट करना होगा और टैक्स को अलग से स्पष्ट रूप से बताना होगा। किसी भी शर्त वाली निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा।

2. कोट की गई कीमत में सभी टैक्स/ड्यूटी/सर्विस टैक्स आदि शामिल माने जाएंगे।
3. जो निविदादाता सबसे कम मूल्यांकित रिस्पॉन्सिव कीमत देगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसे सफल निविदादाता के रूप में चुना जाएगा।
4. यू-सैक सफल निविदादाता को सूचित करेगा। असफल निविदादाता से किसी भी सवाल या स्पष्टीकरण पर विचार नहीं करेगा।
5. निविदादाता द्वारा BOQ में बताई गई कुल कीमत में सभी टैक्स /GST/ कोई भी लागू लेवी शामिल मानी जाएगी। RFP में बताए गए काम के दायरे को पूरा करना निविदादाता फर्म की जिम्मेदारी होगी।

24. BOQ:—

क्र० सं०	सर्विस चार्ज
-------------	--------------

उपरोक्त टेंडर डॉक्यूमेंट में वर्णित कार्य हेतु दिए जाने वाले वेतन एवं ई0पी0एफ0 / ई0एस0आई0 /जी0एस0टी0 इत्यादि नियमानुसार फिक्स्ड हैं, अतः बिडर उपरोक्त हेतु सर्विस चार्ज (प्रतिशत में) कोट करें

नोट:

- (i). निविदा में स्वीकृत दरों के अनुरूप उपरोक्त वर्णित सेवाओं के अन्तर्गत मानवशक्ति की संख्या बढ़ाई एवं घटाई जा सकती है।
- (ii). गलतियाँ और सुधार: अंकगणितीय गलतियों को निम्नलिखित आधार पर सुधारा जाएगा: “यदि यूनिट कीमत और कुल कीमत के बीच कोई विसंगति है जो यूनिट कीमत और मात्रा को गुणा करके प्राप्त होती है, तो यूनिट कीमत मान्य होगी और कुल कीमत को ठीक किया जाएगा। यदि शब्दों और अंकों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में लिखी गई राशि मान्य होगी।